झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक :   दिनांक:

सेवा में,

श्री रामचन्द्र मेहता,
मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी,
ग्राम –बिगहा, पो०–फुलबेरिया,
थाना– नवलसराई, जिला– कोडरमा,
झारखण्ड, पिन– 825418

विषयः– **मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे० वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या** FP/JH/MIN/20419/2016 **एवं आपका आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स रामचन्द्र मेहता, कैप्टन आनन्द अर्पणा देवी द्वारा करमा स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु 14.17 हे० वनभूमि के अपयोजन हेतु ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/JH/MIN/20419/2016 समर्पित किया गया है, जो दिनांक 19.07.2016 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरांत एवं प्रमण्डलीय अभिलेखों से जॉचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी गई है जो निम्नवत् है:–

1. प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत होने वाला अनापत्ति प्रमाण– पत्र संलग्न नही है।
2. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वनभूमि जिला गढवा चयनित कर प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है परन्तु क्षतिपूरक वनरोपण हेतु स्थल विशिष्टि प्राक्कलन एवं क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का सत्यापित नक्शा प्रस्ताव में संलग्न नही है।
3. वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य सहित Reclamation Plan संलग्न नही है। साथ ही माईनिंग प्लॉन में Reclamation Schedule एवं Progressive mine closure Plan में Phasewise Reclamation का Pictorial representation नही है।
4. प्रस्ताव में Online filled form संलग्न नही है। भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F No-8-15/2000FC (vol-1) द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में ऑन लाईन आवेदित प्रस्ताव को Online filled form का Printout प्रस्ताव में लगाना है।

5. प्रस्ताव में पहुँच पथ हेतु वनभूमि एवं गैर वनभूमि दोनो का अपयोजन होना है, परन्तु पहुँच पथ निर्माण हेतु गैर वनभूमि का व्यौरा प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
6. विषयगत् प्रस्ताव हेतु अपयोजित होने वाले गैर वनभूमि का भूमि विवरणी संबंधित अंचल अधिकारी से सत्यापित करवाकर भूमि विवरणी समर्पित करें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि प्राप्त प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सकें।

आपका विश्वासी,

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक :– दिनांक :–
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक :– दिनांक :–
प्रतिलिपि– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक :– 4156 दिनांक :– 27-7-16
प्रतिलिपि– [redacted] प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ समर्पित।

26/7/16
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल